मेरीडियन नर्सिंग होम
एण्ड हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड

लेढ़ूपुर, आशापुर (गाजीपुर रोड), वाराणसी

NABH CERTIFIED HOSPITAL

PATIENT SAFETY & QUALITY OF CARE

NABH

PRE ACCREDITED

(टेली मेडिसीन विभाग)

टेली मेडिसीन क्लिनिक संचालक हेतु विवरणिका

Call. 05422591300, 7905070733

Email - telemedicine. meridian@gmail.com

Website - www.meridianvns.com

वैधानिक चेतावनी

मेरीडियन हास्पिटल ™

एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। इसका अनाधिकृत प्रयोग विधि द्वारा वर्जित है।

परिचय-

सुपर स्पेशियलिटी मेरीडियन नर्सिंग होम एण्ड अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड का लोकार्पण सन् 2005 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. मुलायम सिंह यादव जी के करकमलों से हुआ था। यह अस्पताल वाराणसी जनपद में वाराणसी गाजीपुर हाइवे पे आशापुर चौराहे से डेढ़ किलोमीटर आगे लेढूपुर में स्थित है।

अस्पताल की गूगल लोकेशन के लिए बारकोड स्कैन करें।

वर्तमान में न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश अपितु सीमावर्ती बिहार एवं छत्तीसगढ़ के मरीज इस अस्पताल की सस्ती एवं अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। विगत 18 वर्ष में एक लाख से अधिक मरीज अस्पताल से सफल आपरेशन एवं/अथवा इलाज करा चुके हैं।

सुविधाएं-

- आई वी एफ क्लिनिक (बाँझपन संबंधी रोगों हेतु)
- स्त्री एवं प्रसूति रोग
- नवजात शिशु एवं बाल रोग (एन आई सी यू सहित)
- जनरल मेडिसीन एवं चेस्ट
- जनरल एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी
- अस्थि रोग (घुटना एवं कूल्हा प्रत्यारोपण सहित)
- न्यूरो सर्जरी एवं स्पाइन रोग
- प्लास्टिक सर्जरी
- पैथोलॉजी
- अल्ट्रासाउण्ड
- सी टी स्कैन एवं डिजिटल एक्स-रे
- आई सी यू
- आपातकालीन कक्ष
- फार्मेसी

24 घण्टे खुली रहने वाली सेवाएं-

- आपातकालीन कक्ष
- सी टी स्कैन
- डिजिटल एक्स-रे
- पैथोलॉजी
- फार्मेसी

कैशलेस सुविधाएं-

निम्न योजनाओं के कार्ड धारकों के पूर्णतया निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध है।

- आयुष्मान भारत योजना
- पंडित दीन दयाल राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना
- ई सी एच एस (पूर्व सैन्य कर्मियों हेतु)
- सी जी एच एस (केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु)
- निजी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों द्वारा जारी कैशलेस हेल्थ कार्ड

टेली मेडिसीन क्या है-

भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा सन् 2020 में टेली मेडिसीन हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार इसका अर्थ है- "व्यक्ति एवं समुदायों के स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर उन्नति हेतु व्याधि एवं जखमों के निदान, इलाज, रोग निरोध, अनुसंधान, मूल्यांकन एवं स्वास्थ्य कर्मियों की सतत शिक्षा हेतु सूचना एवं दूर संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग वैध सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु करके, जहाँ दूरी एक महत्वपूर्ण कारक हो, स्वास्थ्य कर्मी द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना"।

सरल शब्दों में टेली मेडिसीन में आधुनिक संचार की तकनीक यथा मोबाइल, कम्प्यूटर, वाट्सएप्, विडियो/ऑडियों कालिंग इत्यादि का प्रयोग करके मरीज से दूर बैठे चिकित्सक द्वारा चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया जाता है।

नोट-

यहाँ कृपया इस तथ्य को भलीभाँति समझ लें कि टेली मेडिसीन इमरजेंसी/गंभीर रूप से बीमार रोगियों हेतु नहीं है।

मेरीडियन हॉस्पिटल की ''टेली मेडिसीन''
खोलने हेतु न्यूनतम आवश्यकता-

- एक हेल्थ वर्कर (जी एन एम अथवा ए एन एम) अथवा आर एम पी (Registered medical practitioner)

नोट- आर एम पी का अर्थ इंडियन मेडिकल काउंसिल, 1956 के तहत स्टेट मेडिकल रजिस्टर अथवा इंडियन मेडिकल रजिस्टर में पंजीकृत व्यक्ति से है।

- न्यूनतम 10x10 फीट का एक कमरा (प्राथमिकता किसी बाजार/मुख्य सड़क पर स्थित क्लिनिक को दी जायेगी)। जिसका स्वामित्व स्वयं आवेदक का हो अथवा न्यूनतम एक वर्ष का आवेदक के साथ किराएदारी नामा हो।
- एक कम्प्यूटर, स्पीकर, हेडफोन एवं ब्रॉड्बैन्ड इंटरनेट कनेक्शन। रिकार्ड मेंटेनेस हेतु एक आलमारी, अग्नि शमन हेतु नियमानुसार व्यवस्था।

टेली मेडिसीन क्लिनिक ''खोलने हेतु आवेदन की प्रक्रिया-

आवेदन हेतु इस विवरणिका के साथ संलग्न प्रपत्र-1 को भर के मय संलग्नक के साथ आपको निम्न तरीकों से आवेदन कर सकते हैं-

- पूर्ण रूप से भरे अवेदन पत्र एवं संलग्नक की स्कैन प्रति telemedicine.meridian@gmail.com पे ई मेल कर दें।
- पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र एवं संलग्नक की फोटो लेकर 9628888824 पर वाट्सएप करे दें।
- मेरीडियन हॉस्पिटल के पूछताछ कक्ष में व्यक्तिगत रूप से जमा करें।
- निम्न पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट करें-
  मेरीडियन हॉस्पिटल, लेढ़ूपुर, आशापुर, गाजीपुर रोड, वाराणसी (उ.प्र.)। पिन- 221007, फोन- 0542-2591300
  नोट- कृपया लिफाफे पे बड़े अक्षरों में **''टेली मेडिसीन क्लिनिक''** खोलने हेतु आवेदन पत्र अवश्य लिखें।

तत्पश्चात आवेदन के उपयुक्त पाए जाने पर अस्पताल के प्रतिनिधि आवेदक से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे एवं क्लिनिक की विजिट की जाएगी। अंतिम चरण में आवेदक के साथ लिखित करार होगा एवं चयनित हेल्थ वर्कर को एक सप्ताह की ट्रेनिंग मेरीडियन हॉस्पिटल में दी जाएगी। यह ट्रेनिंग अनिवार्य है, यह पूर्णतया निःशुल्क है, रहना, खाना अस्पताल की तरफ से दिया जाएगा एवं इसक पश्चात टी टेली मेडिसीन क्लिनिक आरंभ हो सकेगी।

यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि टेली मेडिसीन क्लिनिक संचालक एवं उसमें कार्य करने वाले कर्मी किसी भी रूप में मेरीडियन हॉस्पिटल के कर्मचारी नहीं माने जाएंगे। नाही उन्हें किसी भी प्रकार का भत्ता, पारिश्रमिक, सेलेरी इत्यादि मेरीडियन हॉस्पिटल से देय होगा। मरीज से प्राप्त परामर्श शुल्क का वितरण अस्पताल एवं टेली मेडिसीन क्लिनिक संचालक के मध्य प्रति मरीज के आधार पर करार में उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अनुसार किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप 9838001457 पे काल कर सकते है।

टेली मेडिसीन क्लिनिक पे लगने वाले बोर्ड, क्लिनिक का रंग एवं डिजाइन, सहमति पत्र सहित सभी प्रकार की स्टेशनरी अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी क्लिनिक के खुलने की सूचना एवं उसमें उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से अस्पताल द्वारा दी जाएगी।

स्थानीय स्तर पे क्लिनिक संचालक भी इस संदर्भ में सूचना स्थानीय निवासियों को पम्पलेट या अन्य किसी भी माध्यम से दे सकते हैं।